न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खाजूवाला जिला बीकानेर
पीठासीन अधिकारी :– प्रभजोत सिंह गिल आर.ए.एस.
राजस्व वादपत्र संख्या – 124/2021

1 रतनलाल पुत्र किरताराम जाति मेघवाल निवासी चक 14 बीडी तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर।

2 मुखराम पुत्र रतनलाल जाति मेघवाल निवासी चक 14 बीडी तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर।

3 झीमा पुत्री रतनलाल जाति मेघवाल निवासी चक 14 बीडी तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर। ......प्रार्थीगण

बनाम

1 किरताराम पुत्र बांकाराम जाति मेघवाल निवासी 14 बीडी तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर।

2 गोविन्दराम पुत्र बांकाराम जाति मेघवाल निवासी 14 बीडी तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर।

3 बख्ताराम पुत्र बांकाराम जाति मेघवाल निवासी 14 बीडी तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर।

4 जमनादेवी पुत्री बांकाराम जाति मेघवाल निवासी 14 बीडी तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर।

5 लेखराम पुत्र बांकाराम जाति मेघवाल निवासी 14 बीडी तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर।

6 सुरजाराम पुत्र बांकाराम जाति मेघवाल निवासी 14 बीडी तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर।

7 शांतिदेवी पुत्र बांकाराम जाति मेघवाल निवासी 14 बीडी तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर।

8 डुंगीरराम पुत्र बांकाराम जाति मेघवाल निवासी 14 बीडी तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर।

9 उपपंजीयक खाजूवाला।

10 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व खाजूवाला।

......अप्रार्थीगण

Signature Not Verified
Digitally signed by Prabhjot Singh Gill
Date: 2022.02.10 15:08:32 IST
Reason: SelfAttested

राजस्ववादपत्र अन्तर्गत धारा 88 [illegible] ,53 आरटीएक्ट

:निर्णय: दिनांक 06.09.2021

वादी गण का कथन है कि [illegible] 14 बीडी का [illegible] नंबर 114/ 64 की 25.00 बीघा वादीगण के दादी [illegible] आवंटित हुई थी। दादा [illegible] मृत्यु के बाद उक्त जमीन वादीगण की दादी केकू के नाम दर्ज हो गई।

केकू की मृत्यु 2009 में हो गई थी। दादी की मृत्यु के बाद वादी और प्रतिवादीगण द्वारा जमीन का घरेलू बंटवारा कर लिया गया था लेकिन अब प्रतिवादीगण संख्या 1 से 8 कूट रचित वसीयत के जरिए उक्त जमीन अपने नाम करवाना चाहते हैं। इसलिए वादीगण द्वारा यह बाद पेश किया गया है कि घरेलू बंटवारे के मुताबिक जमीन का नामांतरण दर्ज किया जाए।

अदालत द्वारा वाद पत्र पर गौर किया गया अदालत का मानना है कि इस इस मामले में सुनवाई करने क अधिकार तहसीलदार में निहित है क्योंकि इस मामले में मुख्य मुद्दा यह है की खातेदार की मृत्यु के बाद विवादित जमीन किसके नाम दर्ज होने चाहिए। तहसीलदार खाजूवाला को निर्देशित किया जाता है केकू देवी के जायज वारिसान के सिलसिले में जांच कर ,उनको सुनवाई का मौका देकर इस बारे में फैसला करें। वादीगण को निर्देशित किया जाता है कि वह 10 दिनों के अंदर तहसीलदार खाजूवाला के समक्ष पेश होकर अपना पक्ष रखें।

निर्णय आज दिनांक को सरे इजलास सुनाया गया।

(प्रभजोत सिंह गिल),
(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी,
(खाजूवाला)

Signature Not Verified

Digitally signed by Prabhjot Singh Gill
Date: 2022.02.10 16:08:32 IST
Reason: SelfAttested